रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248518 CG-DL-E-02092023-248518

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3731]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2023/भाद्र 11, 1945

No. 3731]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2023/BHADRA 11, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

का.आ. 3892(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 मई, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1433 (अ), तारीख 29 मई, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, "से प्राप्त होने वाली आय" शब्दों के पूर्व "अथवा इक्विटी और संबंधित निवेशों में विनिधान के विक्रय या मोचन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और ये 24 अगस्त, 2023 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे।

[फा. सं. जी-20031/2/2022-एसएस-II]

विभा भल्ला संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1433 (अ) तारीख 29 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, का.आ. सं. 3035(अ), तारीख 22 सितंबर, 2016, का.आ.सं.28(अ), तारीख 4 जनवरी, 2021 और का.आ. सं. 1709(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

5645 GI/2023 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

S.O. 3892(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1433(E), dated the 29th May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii), namely:—

In the said notification, in paragraph 4, after the words "Proceeds arising out of", the words "sale or redemption of investment in equities and related investments," shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 24th day of August, 2023.

[F. No.G-20031/2/2022-SS-II] VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1433(E), dated the 29th May, 2015 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 3035(E), dated the 22nd September, 2016, S.O. 28(E), dated the 4th January, 2021 and S.O. 1709 (E), dated the 29th April, 2021.